145

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 284–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 476/2014–15.

---

श्री महन्त सुखदेवदास महाराज
गुरू महन्त साकेतवासी श्री महन्त
घनश्यामदास जी महाराज धरावधाम
तहसील देपालपुर जिला इंदौर .....आवेदक

**विरूद्ध**

1– महेश पिता स्व. शिवनारायण राठौर
2– संदीप पिता मांगीलाल राठौर
3– राकेश पिता राधेश्याम राठौर
निवासीगण 630/24
समाजवादी इन्द्रानगर
4– पवन पिता रमेश राठौर
निवासी ग्राम धरावरा
तहसील देपालपुर जिला इंदौर .....अनावेदकगण

---

श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, आवेदक
श्री कपिल यादव, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

## :: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील टप्पा बेटमा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 8/3 एवं 8/1 से लगी हुई भूमि सर्वे कमांक 8/4/2 को आवेदकगण द्वारा विकय पत्र से कय किया गया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अनावेदकगण के लिए आने–जाने का रास्ता सर्वे कमांक 8/4/2 में से रहेगा, परन्तु आवेदकगण द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–5–15 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने के निर्देश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–9–2015 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–10–2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है, और पंजीकृत विलेख में कहीं भी उक्त रास्ता पूर्व से होने का न तो कोई उल्लेख है, और न ही कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है ।

(2) विकय पत्र में केवल रास्ते से पानी ले जाने का उल्लेख है, रास्ता होने का कोई उल्लेख नहीं है ।

(3) अनावेदकगण को भूमि पर जाने के लिए सर्वे कमांक 9/1 से होकर गिट्टी, मुरम का पक्का शासकीय मार्ग बना हुआ है तथा शासकीय अभिलेखों में भी मार्ग दर्ज है ।

(4) तहसील न्यायालय द्वारा स्वयं निरीक्षण कर पंचनामा में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अनावेदकगण के लिए आने–जाने हेतु गिट्टी, मुरम का मार्ग निर्मित है ।

(5) 10 फीट से अधिक रास्ते के निर्माण का अधिकार संहिता की धारा 135 (3) के अन्तर्गत कलेक्टर को होकर, तहसीलदार को नहीं हैं ।

(6) जब अनावेदकगण के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, तब दूसरे रास्ते की मांग अनावेदकगण द्वारा नहीं की जा सकती है ।

(7) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, और उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिए तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण की आरे से तहसील न्यायालय में खसरा पांचसाला, नक्शा ट्रेश एवं विक्रय पत्र की प्रति उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सर्वे क्रमांक 8/4 व 8/5 की मेंड़ से पानी लिये जाने का अधिकार ओमप्रकाश को दिया गया है ।

(2) तहसील न्यायालय स्वयं एवं राजस्व निरीक्षक से मौके का स्थल निरीक्षण कराया गया है एवं विधिवत कार्यवाही कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है, इसी कारण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई है ।

(3) आवेदकगण का यह आधार उचित नहीं है कि आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि तहसील न्यायालय के प्रकरण से स्पष्ट है कि आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है ।

(4) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

(5) आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में रास्ता खुलवाये जाने हेतु फोन पर सहमति दी गई है, इसके बावजूद भी इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि

तहसीलदार द्वारा विधिवत् जॉच की जाकर साक्ष्य को प्रश्नाधीन रास्ता रूढिगत पाते हुये रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त विक्रय पत्र में भी रास्ते का उल्लेख है, इस कारण भी तहसीलदार द्वारा रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक कार्यवाही की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः अपर आयुक्त का आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर